इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जून 2011—ज्येष्ठ 25, शक 1933

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ-5-3-11-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 17-क में, शब्द ''रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के साथ'' का लोप किया जाए.

(2) नियम 28 में, उपनियम (चार) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु सोसाइटी को आरक्षित निधि से ऐसी हानि जो अनुमोदित एकमुश्त समझौता योजना एवं लोक अदालत के माध्यम से किए गए समझौते के परिणामस्वरूप हुई है, अपलिखित करने के पूर्व रजिस्ट्रार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.''.

(3) नियम 32 में,—

(एक) खण्ड (पांच) में, उपखण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु, सहकारी साख संरचना की दशा में, नियोजन, ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय बैंक द्वारा, विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर, रजिस्ट्रार द्वारा सेवा तथा सेवा नियमों से संबंधित नियोजन के निबंधन तथा शर्तों में उल्लिखित की गई है.''.

(दो) उपनियम (1-क) में, खण्ड (दो) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु, सहकारी साख संरचना की दशा में नियोजन, ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय बैंक द्वारा, विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर, रजिस्ट्रार द्वारा सेवा तथा सेवा नियमों से संबंधित नियोजन के निबंधन तथा शर्तों में उल्लिखित की गई है".;

(4) नियम 49-ख का लोप किया जाए.

(5) नियम 50-ख में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द, "राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से नियुक्त किया गया चार्टर्ड एकाउण्टेंट" के स्थान पर, शब्द, "धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित चार्टर्ड एकाउण्टेंट" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (2) में, शब्द कोष्ठक तथा अंक "नियम 50 के उपनियम (2) से (7)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "नियम 50 के उपनियम (2) से (6)" स्थापित किए जाएं.

No. F-5-3-11-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 95 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Rules, 1962, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In rule 17-A the words "with the prior approval of the Registrar" shall be omitted.

(2) In rule 28, in rule (iv), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that before written off such losses occurred to the society from the reserve fund which is in consequence of the approved lump sum settlement scheme and of the settlement made through the Lok Adalat, it shall not be necessary to obtain the approval of the Registrar.".

(3) In rule 32,—

(i) in clause (v), in sub-clause (c), for the full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely;—

"Provided that in case of Co-operative credit structure, employment shall be made by such procedure as has been mentioned for service and terms and conditions of employment relating to the service rules by the Registrar, on the basis of the guidelines specified by the National Bank.".

(ii) in sub-rule (1-A), in clause (ii), for the full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely;—

"Provided that in case of co-oprative credit structure, employment shall be made by such procedure as has been mentioned for service and terms and conditions of employment relating to the service rules by the Registrar, on the basis of the guidelines specified by the National Bank";

(4) Rule 49-B shall be omitted.

(5) In rule 50-B,—

(i) in sub-rule (1), for the words "The Chartered Accountant appointed form the panel approved by the State Government", the words "The Chartered Accountant as approved under sub-section (1) of Section 58 shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2), for the words, brackets and figures "sub-rule (2) to (7) of rule 50", the words, brackets and figures "sub-rule (2) to (6) of rule 50" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.